अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3452(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 6 अगस्त, 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 2033(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "सेवालय, सेवालय कैंपस, कसूबा गांव, पक्कम पोस्ट, थिरुनिनरावुर-602024" द्वारा "सेवालय वृद्धाश्रम परियोजना" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2009-10 को शुरू होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 9 पर अधिसूचित किया था; जिसे बाद में दिनांक 27 दिसंबर, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 2897(अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 20 जुलाई, 2015 की अधिसूचना सं. का.आ. 1981(अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि परियोजना लागत को 95 लाख रूपये की कार्पस निधि तथा 19.86 लाख रूपये के संचालन व्यय सहित 1.15 करोड़ रूपये से 95 लाख की कार्पस निधि सहित 3.00 करोड़ रूपये तक बढ़ाए जाने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम की परियोजना लागत को 95 लाख रूपये की कार्पस निधि तथा 19.86 लाख रूपये के संचालन व्यय सहित 1.15 करोड़ रूपये से 95 लाख की कार्पस निधि सहित 3.00 करोड़ रूपये तक बढ़ाने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा "सेवालय, सेवालय कैंपस, कसूबा गांव, पक्कम पोस्ट, थिरुनिनरावुर-602024'' द्वारा चलायी जा रही "सेवालय वृद्धाश्रम परियोजना'' दिनांक 6 अगस्त, 2009 की उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 2033(अ) में निम्नलिखत प्रभाव से संशोधन करती है नामत:

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 9 के सामने तालिका में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाने वाली लागत की अधिकतम राशि से संबंधित कालम (4) में "95 लाख रूपये की कार्पस निधि तथा 19.86 लाख रूपये के संचालन व्यय सहित 1.15 करोड़ रूपये" अक्षरों, अंकों और शब्दों को "95 लाख की कार्पस निधि सहित 3.00 करोड़ रूपये" अक्षरों, अंकों और शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सं. 278/2015/फा. सं. वी -27015/4/2015 एस ओ (एन.सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)